



पत्रांक: m/84/2026

दिनांक: 06/10/2026

श्रीमान उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी महोदय,
राँची।

विषय:- अनुमंडल दण्डाधिकारी सदर द्वारा ज्ञापांक 4793/गो० दिनांक-05.10.2026 के माध्यम से जयपाल सिंह मुण्डा स्टेडियम में की गई अनावश्यक दण्डाधिकारी प्रनियुक्ति एवं विधि-व्यवस्था के नाम पर किए जा रहे कार्रवाई के संबंध में एवं आज दिनांक-06.10.2026 को स्थानीय अखबार प्रभात खबर में जयपाल सिंह स्टेडियम गेट मॉर्निंग वॉकर के लिए खोले जाने पर आपके द्वारा दिये गये ब्यान पर आपति दर्ज कराने के संबंध में।

महाशय,

बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके अधीनस्थ अनुमंडल दण्डाधिकारी सदर राँची द्वारा अत्यंत जल्दबाजी से ज्ञापांक 4793/गो० दिनांक-05.10.2026 जारी कर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में 05.10.2026 से 21.10.2026 तक 49 दण्डाधिकारियों एवं भारी पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। यह आदेश समझ से परे है और इसके साथ ही जयपाल सिंह स्टेडियम के गेट में ताला लगाना नगर निगम एवं निर्वाचित महापौर के अधिकारों में सीधा हस्तक्षेप है। क्या उक्त स्टेडियम के गेट को मॉर्निंग वॉकरों के लिए स्वास्थ्य को देखते हुए खोलने से शहर की विधि व्यवस्था प्रभावित होगी ? या स्टेडियम में महापौर में टहलने से शहर की विधि व्यवस्था को खतरा होता है ?

इस संबंध में निम्न बिन्दुओं पर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहती हूँ।

1) जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पार्क का स्वामित्व एवं रखाव पूर्णतः राँची नगर निगम का है। निगम की संपत्ति पर नागरिक सुविधा हेतु गेट खोलना या बंद करना निगम परिषद/महापौर का प्रशासनिक अधिकार है। इस पर अनुमंडल दण्डाधिकारी सदर राँची द्वारा 144 जैसा कार्रवाई करना समझ से परे है, यदि ऐसी सुरक्षा से संबंधित कोई बात या विषय थी भी तो आप मुझसे या नगर निगम, राँची पदाधिकारी से सम्पर्क कर सुझाव/आदेश दे सकते थे किंतु ऐसा ना करते हुए अखबार के माध्यम से मेरे ऊपर कार्रवाई की बात कही वह दुर्भाग्यपूर्ण है।

2) पार्क का गेट केवल और केवल मॉर्निंग वॉकर्स (वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, खिलाड़ियों) के स्वास्थ्य लाभ हेतु प्रातः 5 से 8 बजे तक खोला गया था। इसे "विधि-व्यवस्था भंग करने" जैसा रंग देना दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या सुबह पार्क में टहलना अब अपराध है ?

3) मैं इस शहर की जनता द्वारा चुनी हुई महापौर हूँ। जनता की मांग पर पार्क खोलना मेरा दायित्व था। एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि को इस प्रकार से विधि-व्यवस्था भंग करने वाले के रूप

रोशनी खलखो
महापौर
राँची नगर निगम, राँची



कार्यालय :
प्रथम तल्ला, राँची नगर निगम,
कचहरी रोड, राँची-834001 (झारखण्ड)
आवास:
नगड़ाटोली, सर्कुलर रोड,
पो+थाना- लालपुर, जिला- राँची-834001
मो०- 78700 87345

पत्रांक:.....m/84/2026

दिनांक:.....06/10/2026

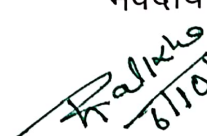
में चित्रित करना लोकतंत्र का अपमान है। मेरे द्वारा अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों, कर्मचारियों से पूछ-ताछ/विचार विमर्श के उपरान्त ही पार्क का गेट का ताला खोला गया जबकि आपके द्वारा अखबार में बताया गया है कि मेरे द्वारा ताला तोड़ा गया जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है क्या राँची नगर निगम की महापौर राँची नगर निगम के जयपाल सिंह स्टेडियम में ताला खोल कर घूम भी नहीं सकती है ? क्या स्थानिय जनता के साथ महापौर के स्टेडियम/पार्क में घूमने से वहां की विधि-व्यवस्था खराब हो जाती है ? आपको निष्पक्ष हो कर यह विचार करना चाहिए।

4) जयपाल सिंह स्टेडियम के गेट पर लगभग 40 दिनों से ताला बंद था किंतु उसके बावजूद स्थानीय जनता मजबूरी में दिवार फांद कर मार्निंग वाक करती थी। जिससे कभी भी किसी व्यक्ति के दुर्घटना या चोट हो सकती है यदि सुबह जनहित में मार्निंग वाक के लिए पार्क को खोला जाए तो इसमें आपका उचित सहयोग होना चाहिए।

अतः मुझे आशा है कि मेरे द्वारा सुझाए गये विषयों पर संज्ञान लेते हुए आप राँची के नागरिकों के हित में जयपाल सिंह स्टेडियम पार्क खोलने की दिशा में समुचित कार्रवाई करेंगे।

✓प्रतिलिपि:- अनुमण्डल दण्डाधिकारी सदर राँची को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

भवदीय


6/10/2026

महापौर

राँची नगर निगम, राँची।

